



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 532) पटना, वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2020

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

28 अगस्त 2020

सं०-पर्या०/वन-07/2007-992(ई०)/प०व०ज०प०—जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित किए जाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार की अधिसूचना सं० 188 (ई.) दिनांक 27.03.2017 द्वारा “बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017” अधिसूचित की गई है।

उक्त नियमावली के नियम-25 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के स्तर पर जैव विविधता समिति के गठन का प्रावधान एवं इसके कार्यों को अभिनिर्धारित किया गया है। राज्य में जैव विविधता संरक्षण इस बात पर निर्भर करेगा कि समितियाँ, अभिनिर्धारित कार्यों को कितनी दक्षता से सम्पादित करती हैं।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 61 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने हेतु वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से अन्यून स्तर के वन अधिकारी को भारत सरकार के कार्यालय आदेश सं० 120 (अ) दिनांक 07.01.2009 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त को प्रभावी बनाने हेतु तथा राज्य के स्थानीय निकायों में बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद के अधीन गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के विभिन्न विषयों/कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी/उप वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रमण्डलों सहित) को जैव विविधता अधिनियम के प्रयोजनार्थ नाभिक पदाधिकारी (Nodal Officer) घोषित किया जाता है।

संबंधित नोडल पदाधिकारी—सह—वन प्रमण्डल पदाधिकारी अपने नियंत्री वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) को मासिक पर्यवेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 532-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>